# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

## //रूचि की अभिव्यक्ति//

**कार्य का नाम :– नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा क्षेत्रान्तर्गत तहसील कार्यालय, भिलाई–03 के पास मिलेट्स कैफे का संचालन कार्य**

## //ऑफर पत्र//

| क्र. | कार्य का नाम | नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा को देय राशि रू./प्रतिमाह | |
|---|---|---|---|
| | | अंको में | शब्दों में |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा क्षेत्रान्तर्गत तहसील कार्यालय, भिलाई–03 के पास मिलेट्स कैफे का संचालन कार्य | | |

टीप :– संलग्न नियम शर्तों के अनुरूप

**महिला स्व. सहायता समूह का नाम एवं हस्ताक्षर सील सहित**

**आयुक्त**
**नगर पालिक निगम**
**भिलाई–चरौदा**



CamScanner

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID –cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com, Phone No. – 0788-2962380

क्र॰/................/लो॰नि॰वि॰/2023 भिलाई–चरौदा, दिनांक – ...../...../2023

## // रूचि की अभिव्यक्ति //

छ॰ग॰ शासन की अभिनव योजना मिलेट्स कैफे के संचालन **तहसील कार्यालय, भिलाई–03** के पास करने के लिये स्व. सहायता समूह का चयन किया जाना है। उक्त कार्य हेतु महिला स्व.सहायता समूह से **दिनांक – 28.03.2023 समय – संध्या 05:00 बजे तक** रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त आवेदन को स्वीकार नही किया जावेगा। मिलेट्स कैफे के संचालन हेतु आवश्यक अर्हताएं एवं नियम शर्ते :–

1. मिलेट्स कैफे के संचालन के लिए E.O.I. के साथ **₹ 5,000.00** मात्र का अमानत राशि F.D.R. के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के नाम से जमा करना होगा।
2. ऑफरदाता को लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का F.D.R. एवं लिफाफा **"ब"** में रूचि की अभिव्यक्ति का ऑफर पत्र पंजीयन प्रमाण पत्र (नोटरी/स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) प्रस्तुत करना होगा।
3. लिफाफा **"अ"** एवं **"ब"** लिफाफा के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट शब्दों में लिखा होना आवश्यक होगा एवं पोस्टल पता सहित बड़े लिफाफा में डालकर स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा जिला – दुर्ग (छ.ग.) को प्रस्तुत करना होगा।
4. ऑफर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार की जावेगी।
5. सफल ऑफरदाता को अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा। जिसमें उल्लेखित समयानुसार अनुबंध करना होगा। समय–सीमा में अनुबंध नही किये जाने की स्थिति में जमा अमानत राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी, जिसकी पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
6. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा, जिला – दुर्ग (छ॰ग॰) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
7. आवश्यकतानुसार कार्य की समयावधि को कम या अधिक करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा, जिला – दुर्ग (छ॰ग॰) के पास सुरक्षित रहेगा।
8. अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य नहीं करने की स्थिति में धरोहर राशि राजसात कर दी जावेगी एवं दण्ड विधान के तहत् कार्यवाही की जावेगी।
9. मिलेट्स कैफे के संचालन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के कामगार नहीं रखे जावेंगे।
10. अनुबंधित स्व. सहायता समूह द्वारा इस कार्य हेतु संलग्न कर्मचारियों की गैर कानूनी कार्यों में संलिप्तता होने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी।

**क्रमशः – 02**

CamScanner

11. विभाग की अधिकारियों की दृष्टि में अनुबंधित स्व. सहायता समूह द्वारा उपलब्धता कराया गया कर्मचारी कार्य सही ढंग से नही करता है, उन्माद करता है अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जो नियम के विरूद्ध है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त **24 (चौबीस) घंटे** के अंदर उक्त कर्मचारी को कार्य से पृथक कर अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबंधित स्व.सहायता समूह बाध्य होगी।
12. अनुबंधित स्व. सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी से निगम का कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली अनुबंधित स्व. सहायता समूह से की जावेगी।
13. कार्य के दौरान किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों की समस्त ज़िम्मेदारी अनुबंधित स्व. सहायता समूह की होगी।
14. उपरोक्त कार्य के संचालन संधारण में विद्युत एवं अन्य कार्य संबंधी प्राकृतिक आपदा, चोरी, तोड़फोड़ एवं अन्य किसी प्रकार के नुकसानों का संधारण संबंधित स्व. सहायता समूह को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
15. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त ज़िम्मेदारी अनुबंधित स्व. सहायता समूह की होगी।
16. आवेदक स्व. सहायता समूह (S.H.G.) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशाधित 1998 के तहत् अथवा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
17. आवेदक स्व.सहायता समूह (S.H.G.) का रजिस्टर अभिलेख नियमित रूप से संधारित होना चाहिए।
18. E.O.I. खोलने की कार्यवाही के दौरान सर्वप्रथम अमानत राशि जमा वाले लिफाफा खोला जावेगा, निर्धारित अमानत राशि एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जमा पाये जाने उपरांत ही E.O.I. ऑफर पत्र वाला लिफाफा खोला जावेगा। निर्धारित अमानत राशि एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जमा नही। पाये जाने पर ऑफर पत्र E.O.I. वाला लिफाफा नही खोला जावेगा तथा संबंधित आवेदनकर्ता का जमा/प्राप्त E.O.I. निरस्त माना जावेगा।
19. समूहे द्वारा ऑफर पत्र में नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा को देय राशि रू./प्रतिमाह में अंकित करना होगा। देय राशि प्रतिमाह 15 तारीख तक निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
20. आवेदक स्व.सहायता समूह (S.H.G.) का बैंको में लेन–देन नियमित रूप से होना चाहिए।
21. आवेदक स्व.सहायता समूह (S.H.G.) का किसी भी प्रकार का वित्तीय घाटा नहीं होना चाहिए।

क्रमशः – 03

CamScanner

22. आवेदक स्व. सहायता समूह (S.H.G.) का कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष तक रहेगा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में कार्यकाल 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा।
23. आवेदक स्व. सहायता समूह को पंचसूत्र के सिद्धांत का पालन करते पाया जाना चाहिए।
24. आवेदक स्व. सहायता समूह न्यूनतम 02 वर्ष पूर्व गठित एवं पंजीकृत होना चाहिए।
25. इस कार्य से संबंधित अनुभव रखने वाले स्व. सहायता समूह (S.H.G.) को वरीयता दी जावेगी।
26. E.O.I. की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के पास सुरक्षित होगा।
27. E.O.I. के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
28. आवेदन स्पीड/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से **दिनांक – 28.03.2023 शाम 5:00 तक** कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के पते में जमा करना अनिवार्य है। अन्य विधि से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
29. विस्तृत नियम एवं शर्ते कार्यालयीन अवधि में कार्यालय के सूचना पटल एवं विभागीय वेबसाईट **www.nagarnigambhilaicharoda.in** में देखी जा सकती है।
30. उपरोक्त कार्यों के उल्लंघन पद दण्ड एवं कार्य निरस्तीकरण के संबंध में आयुक्त द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

**आयुक्त**
**नगर पालिक निगम**
**भिलाई–चरौदा**

## कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

क्र./325/लो.नि.वि./2023 भिलाई–चरौदा, दिनांक :– 06.03.2023

### //रूची की अभिव्यक्ति (E.O.I.)//

शहरी क्षेत्रो में गठित महिला स्वसहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने हेतु छ.ग. शासन की महत्वाकांक्षी योजना **मिलेट कैफे** का संचालन कार्य **नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा क्षेत्रान्तर्गत गठित एवं पंजीकृत स्वसहायता समूहों के माध्यम से तहसील कार्यालय, भिलाई–03** के पास कराया जाना है।

मिलेट कैफे के संचालन हेतु निकाय क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत एवं पंजीकृत स्वसहायता समूहों (S.H.G.) द्वारा **दिनांक – 28.03.2023 समय – संध्या 05:00** बजे तक रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। **रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) खोलने की तिथि – 29.03.2023 समय – संध्या 05:00 बजे है।**

सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, आवश्यक दस्तावेज व अन्य जानकारी नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा की वेब–साईट **www.nagarnigambhilaicharoda.com** से डाउनलोड कर निविदा की अंतिम तिथि तक कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा/स्वीकार किया जावेगा। अंतिम तिथि के बाद निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई–चरौदा

"प्रकृति को क्षति न पहुँचाए, आओ धरती पर वृक्ष लगाएँ"

2 Col. x 7 c.m.

CS CamScanner